कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु0–04/2014 /कृ0, पटना, दिनांक जून, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स जसवंत रसायन प्रा0 लि0,
C/O मेसर्स केमिकल्स एण्ड ऑरगेनिक्स,
H/O श्री अवध किशोर साहा, मानपुर,
बैरिया रोड, नियर पी0 एम0 एस0 स्कूल, बैरिया पटना।

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 122 दिनांक 28.08.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत निम्नांकित स्वनिर्मित कीटनाशियो का कीटनाशी बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या–122 दिनांक 28.08.2014 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	2, 4-D Ethyl Ester 38% EC
2	Malathion 50% EC
3	Metribuzin 70% WP
4	Catap Hydrochloride 4%GR
5	Clodinafop Propargyl 15% WP
6	Sulfosulfuron 75% WG
7	Chlorpyriphos 50% +Cypermethrin 5% EC
8	Isoproturon 50% WP

2–उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:– **मेसर्स जसवंत रसायन प्रा0 लि0,** C/O मेसर्स केमिकल्स एण्ड ऑरगेनिक्स, H/O श्री अवध किशोर साहा, मानपुर, बैरिया रोड, नियर पी0 एम0 एस0 स्कूल, बैरिया पटना।

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाय।

4–अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6–अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7–नियम 10 बी0 के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8–अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3263 /कृ0, पटना, दिनांक 10 ~~जून~~ जुलाई 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/7/15

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।